



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1996, (1997 का क्रमांक 3) के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय  
[A Central University established by Parliament by Act No. 1996 (3 of 1997)]



पी. सरदार सिंह  
P. SARDAR SINGH  
कुलसचिव  
REGISTRAR

दूरभाष/Phone: +91 7152 230902  
फैक्स/Fax: +91 7152 230903

क्रमांक : 006/Estt./Gen/2019/01/2071  
दिनांक : 20/09/2023


## कार्यालयादेश

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों द्वारा समय-समय पर की जा रही शिकायतों/मांगों के निदान हेतु किये जाने वाले धरना/सत्याग्रह/आंदोलन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा धरना स्थल निर्धारित किया जाता है। धरना स्थल निम्नानुसार रहेगा-

गांधी हिल  
विद्यार्थी संवाद स्थल  
विश्वविद्यालय परिसर, म.गां.अं.हि.वि.

उक्त धरना स्थल के अलावा विद्यार्थियों द्वारा अन्य किसी स्थल पर धरना प्रदर्शन करना अवैध माना जायेगा तदनुसार संबंधित के ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

  
(पी. सरदार सिंह)

प्रति,

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त अधिष्ठातागण
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. कुलानुशासक कार्यालय
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
6. समस्त छात्रावास अधीक्षक
7. लीला प्रभारी, बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. समस्त सूचना पट्ट